

हरियाणा में 'पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन आफ आयुष फ़ैसिलिटिज' लागू चर्चा में क्यों?

07 फरवरी, 2023 को हरियाणा सरकार ने आयुष प्रणाली व सुवधाओं को बढ़ावा देने के लिये एक नई नीति 'पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फ़ैसिलिटिज' (आयुष सुवधाओं के प्रमाणन और मानकीकरण के लिये नीति) लागू की है।

प्रमुख बंदि

- इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के गृह, स्वास्थय और आयुष मंत्री अनलि वजि ने बताया कयिह नीति आगामी 31 अक्टूबर, 2027 तक लागू रहेगी और इस नीति की एक अधिसूचना आज जारी कर दी गई है।
- इस नीति का उदेश्य समग्र कल्याण मॉडल के आधार पर सेवाएँ प्रदान करने के लिये नज्जि क्षेत्र में आयुष औषधालयों/क्लीनिकों, पंचकरम केंद्रों, आयुष अस्पतालों के नेटवर्क की पहचान और संचालन के माध्यम से आयुष के मुख्य योग्यता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रति करके लागत प्रभावी आयुष चकितिसा सेवाओं के माध्यम से स्वास्थय देखभाल प्रणाली के कवरेज को बढ़ाना है।
- इससे बीमारी के बोझ और जेब खर्च को कम करने के साथ-साथ जनता को 'स्वयं की देखभाल' के लिये सशक्त बनाया जा सकेगा।
- इस नीति के तहत आयुष चकितिसा पद्धति के तहत लक्षति सार्वजनिक स्वास्थय कार्यक्रमों के माध्यम से संचारी/गैर-संचारी रोगों में कमी लाने की भी परकिल्पना की गई है।
- सरकार इस नीति के तहत अन्य सेवा क्षेत्रों के बीच आयुष को प्राथमिकि स्वास्थय क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, जसिके तहत आयुष वेलबीइंग डेस्टनिशन में आयुष अस्पतालों, कॉलेजों, वेलनेस सेंटरों से लेकर नविरक, उपचारात्मक और पुनर्वास उपचार/सुवधाएँ, गेस्ट हाउस और होम-स्टे, ऑर्गेनिक रटिल सुवधाएँ, योग और प्राकृतिक चकितिसा केंद्र, सपा और अरोमाथेरेपी केंद्र, बॉडी रैप्स, मसाज वेलनेस सेंटर, सौंदर्य उपचार, वशिष त्वचा देखभाल क्लिनिकि, सांस्कृतिक और वरिसत प्रदर्शन के लिये बाहरी सत्र इत्यादि शामिल हैं।
- इसी प्रकार, स्टैंडअलोन या मल्टी-स्पेशयलिटी आयुष अस्पताल जसिमें आयुष के तहत चकितिसा की सभी या 5 प्रणालयिों में से कुछ शामिल हैं और नैदानिकि प्रतषिठान अधनियिम 2011, एनएबीएच या आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नरिधारति मानकों का अनुपालन करते हैं, जो भी लागू हो।
- इसी तरह, आयुष वेलनेस सेंटर में जैसे आयुष क्लीनिकि/डे केयर सेंटर/डसिपेंसरी/पंचकरमा क्लिनिकि/योग, नेचुरोपैथी और मेडटिशन सेंटर/कन्वलेसेंस सेंटर आदि बनिा आईपीडी सुवधा के हैं।
- आयुष अस्पतालों, वेलनेस सेंटरों आदि को प्रयाप्त मान्यता प्रदान की जाएगी। आयुष वभिाग, हरियाणा सरकार के तहत मान्यता प्राप्त/प्रमाणति आयुष सुवधाओं/संस्थानों की तीन श्रेणयिों होंगी जसिमें आयुष हीरक, आयुष स्वर्ण और आयुष रजत शामिल हैं।
- अस्पतालों और स्वास्थय सेवा प्रदाताओं के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) द्वारा पूरण मान्यता प्राप्त करने वाले अस्पतालों, वेलनेस केंद्रों आदि को राज्य सरकार द्वारा 5 स्टार रेटगि के साथ आयुष स्वर्ण के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- जनि आयुष संस्थाओं ने अपनी संबंधति श्रेणी में एनएबीएच द्वारा पूर्व-प्रत्यायन प्रवेश सत्र के मानक प्राप्त कयिे हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा 3 स्टार रेटगि के साथ आयुष रजत के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- अपनी श्रेणी में आयुष स्वर्ण मान्यता/प्रमाणन प्राप्त करने के बाद लगातार 5 वर्षों तक एनएबीएच मान्यता बनाए रखने वाली आयुष संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा 7 स्टार रेटगि को आयुष हीरक के रूप में मान्यता दी जाएगी। मान्यता/प्रमाणन एनएबीएच मान्यता की वैधता तक वैध रहेगा।